यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

पीठासीन अधिकारी श्री अतहर आमिर उल शफि खान आई.ए.एस.

रण संख्या 55/2018

उनवान

1 श्री काना पिता गोकल बैरवा निवासी कलुन्दिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा —प्रार्थी

बनाम

1 श्रीभवरलाल पिता रामेश्वरलाल पाण्डे (शर्मा) निवासी सुठेपा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

2 श्री रामसुख पिता रामेश्वरलाल पाण्डे (शर्मा) निवासी सुठेपा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

3 देउबाई पति कैलाश चन्द्र धोबी निवासी सुवाणा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा

4 श्रीगोपाल पिता लादुलाल बैरवा निवासी रेण तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

5 श्री किशन पिता लादुलाल बैरवा निवासी रेण तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 20.06.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूॅ—राजस्व अधिनियम 6 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 23.05.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है ग्राम कलुन्दिया पटवार का पीपली भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी र 1195/1084 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न ा रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन कार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23.05.2018 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के ावक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 06 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के रान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध ार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार ालेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व ारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन ी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है ग्राम कलुन्दिया पटवार हल्का पीपली भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ में उसके ा की कृषि भूमि आराजी नम्बर 1195/1084 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा भूमि कि पत्थरगढी राजस्थान ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित क 300/— पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार सयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 20.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल र होकर दाखिल दफतर रहे।

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ

Scanned by CamScanner